(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सिवाना

मु.न. 43 / 2020

प्रार्थीगण

1. अमरसिंह पुत्र विशनसिंह
2. अर्जुनसिंह पुत्र विशनसिंह
3. गणपतसिंह पुत्र विशनसिंह
4. ना.बा. पदमसिंह पुत्र विशनसिंह कुदरती वलीया माता लक्ष्मीकंवर पत्नी विशनसिंह
5. लक्ष्मीकंवर पत्नी विशनसिंह
6. शैतानसिंह पुत्र विशनसिंह
7. सेहनसिंह पुत्र विशनसिंह
8. किशोरसिंह पुत्र मंगलसिंह
9. खूमसिंह पुत्र लालसिंह
10. रसालकंवर पत्नी लालसिंह
11. माधूसिंह पुत्र लालसिंह
12. मोहनसिंह पुत्र हडवंतसिंह

जाति राजपूत निवासी बिजलीया तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. हीराराम पुत्र ओखाराम
   जाति सुथार निवासी अर्जियाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार सिवाना
3. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा एडीबी सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010

–: निर्णय :–

दिनांक :– 14/09/20

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम बिजलीया पटवार क्षेत्र देवन्दी तहसील सिवाना में खेत खसरा नम्बर 24 रकबा 06.3617 हैक्टेयर की आई हुई है। प्रार्थीगण के खेत के वदिशा पश्चिम में स्थित विप्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 270/23 के दक्षिणी माठ माठ से लगता हुआ आगे राजस्व कटाण सडक मार्ग तक जाता है। इस मार्ग को प्रार्थीगण द्वारा कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु विगत पीढियों से सुचारू रूप से उपयोग में लेते आ रहे हैं। उक्त रास्ते पर आवागमन के बाबत् विप्रार्थी के हक पूर्वाधिकारियों ने कभी कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन समय का अन्तर आ जाने के कारण विप्रार्थी मौके पर विरोध पैदा करते हैं। प्रार्थीगण के आवागमन हेतु इस रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 24 से कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 270/23 में से संलग्न "परिशिष्ठ–अ" अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित किया जावे।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2020.10.02 13:46:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

भूमि धारक तहसीलदार सिवाना से रिर्पोट ली गई। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिर्पोट क्रमांक 396 दिनांक 28.07.2020 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 24 तक पहुंचने हेतु उपरोक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान में विप्रार्थी द्वारा द्वारा रास्ता बंद करने से खसरा संख्या 23 की उतरी माठ के सहारे प्रार्थीगण आवागमन करते हैं। प्रार्थीगण के खसरा संख्या 24 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 270/23 में 0.0890 हैक्टेयर भूमि रास्ते हुए प्रस्तावित है, जिस पर 9x5 वर्गमीटर में पतरा व सीमेंन्ट की ईंटों से नोटिस जारी होने के बाद दिनांक 21.07.2020 को बनाया दिया है, विप्रार्थी को पाबन्द करने के बावजूद निर्माण कार्य किया है। प्रस्तावित रास्ते का संलग्न परिशिष्ठ "अ" में बताये अनुसार रास्ते का उपयोग पहले से किया जा रहा था। सड़क के लगते बिन्दु A पर प्रस्तावित रास्ते पर डामर का रास्ता बनाया हुआ है जो करीब 10–15 फीट चौड़ा है। बिन्दु संख्या A व B प्रस्तावित रास्ता "परिशिष्ठ "अ" में दर्शाया गया है। बिन्दु संख्या C से D कम दूरी होने से खसरा संख्या 270/23 के उत्तरी माठ के सहारे भी हो सकता है। जिसकी भूमि 0.0820 हैक्टेयर होगी।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री नरपसिंह भाटी से बहस सुनी एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात, तहसीलदार सिवाना की मौका रिर्पोट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सिवाना की रिर्पोट अनुसार प्रस्तावित C से D "बरंग हरा" रास्ता सबसे नजदीकी विकल्प है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण को कटान मार्ग से अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई विलक्प नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि मौजा बिजलिया के खेत खसरा नम्बर 24 के आवागमन हेतु विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 270/23 में से रास्ता अपलिखित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिर्पोट क्रमांक 396 दिनांक 28.07.2020 के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए C से D "हरा रंग मार्क" अनुसार कटान मार्ग से प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा संख्या 24 ग्राम बिजलिया में आने–जाने हेतु विप्राथी संख्या 01 के ग्राम बिजलिया के खेत खसरा नम्बर 270/23 में से कुल रकबा 0.0820 हैक्टेयर रास्ते हेतु C से D बरंग "हरा" संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2020.10.02 13:46:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/09/20 को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2020.10.02 18:46:02 IST
Reason: SelfAttested

(कु. लता चौहान, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना